राजस्थान सरकार

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS / पे–मैनेजर / 4115–4365 दिनांक 29/6/2018

परिपत्र

विषय :– एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स को अधिक सुरक्षित किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश ।

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतानों के लिए कार्मिकों / तृतीय पक्षकारों / लाभार्थियों के बैंक खाते से संबंधित विवरण सही–सही सिस्टम में फीड किये जाने तथा बैंक खाता संख्या में बदलाव किए जाने के संबंध में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(थ–75)कोष / आई.एफ.एम.एस. / अन्य बिल्स / 8208–860 दिनांक 03.08.2012 तथा समसंख्यक पत्रांक 13926–14126 दिनांक 02.08.2013 एवं 27.10.2016 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गये थे, लेकिन फिर भी प्रायः आहरण वितरण अधिकारियों / विभागों द्वारा बैंक खातों के इन्द्राज में शुद्वता नहीं की जा रही है तथा कतिपय अनियमिताऐं भी सिस्टम में दृष्टिगत हुई है। ऐसे प्रकरणों में वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 03.08.2012 के बिन्दू संख्या 4 के अनुसार गलत बैंक खाते में हुए भुगतान के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्णतया उत्तरदायी होते है। अतः ऑनलाइन भुगतान में देय धारकों के बैंक खातों के विवरण सही–सही फीड किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अतः सिस्टम पर इन्द्राज किए गए एवं भुगतान संव्यवहारों से सम्बद्ध बैंक खातों की निश्चित समयावधि में पूर्ण जाँच व समीक्षा उनके स्तर पर सुनिश्चित किया जाना भी अत्यावश्यक है।

वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र दिनांक 21.03.2018 के बिन्दु संख्या 4.1.1 में कार्मिकों / वेण्डर्स / लाभार्थी / संवेदकों को ऑनलाइन भुगतान किए जाने के संबंध में बैंक विवरण के अलावा मोबाईल नम्बर भी प्राप्त किए जाने को अनिवार्य किए जाने तथा ई–मेल आई.डी. एवं आधार नम्बर को ऐच्छिक रूप से लिए जाने का उल्लेख किया गया है।

इसी क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत विकसित विभिन्न मॉड्यूल्स में भुगतान संव्यवहारों से सम्बद्ध मास्टर डेटा को अधिक सुरक्षित किए जाने हेतु निम्नानुसार दोहरे प्रमाणीकरण की व्यवस्था दिनांक 01.10.2018 से प्रारम्भ की जा रही है :–

1. राज्य कार्मिकों के ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में कार्मिकों के मास्टर डेटा में मोबाईल नम्बर एवं पैनकार्ड नम्बर फीड किया जाना अनिवार्य होगा।
2. समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के मास्टर डेटा में मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस फीड किया जाना अनिवार्य होगा।

www.rajteachers.com

3. तृतीय पक्षकारों को किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था में मोबाईल नम्बर उनके मास्टर डेटा में फीड किया जाना अनिवार्य होगा तथा राशि ₹ 50,000/– से ऊपर के भुगतान हेतु पैन. कार्ड नम्बर भी फीड किया जाना भी अनिवार्य होगा।

4. संविदा कार्मिकों को किए जाने वाले भुगतान हेतु मोबाईल नम्बर तथा राशि ₹ 50,000/– से अधिक का भुगतान होने पर पैनकार्ड नम्बर भी मास्टर डेटा में फीड किया जाना तथा मनोनीत/चयनित व्यक्तियों जिनकी एम्पलॉई आई.डी. नहीं होती है, को किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान में मोबाईल नम्बर फीड किया जाना अनिवार्य होगा।

5. निर्माण विभागों से संबंधित भुगतानों में वॉम पर उपलब्ध मास्टर डेटा में मोबाईल नम्बर, पैनकार्ड नम्बर तथा ई–मेल एड्रेस फीड किया जाना अनिवार्य होगा।

6. लाभार्थी भुगतानों में पे–मैनेजर पर उपलब्ध मास्टर डेटा में भामाशाह आई.डी., आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर इन्द्राज किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य विभागों की एप्लीकेशन के पे–मैनेजर पर इन्टीग्रेशन के माध्यम से किये जाने वाले लाभार्थी भुगतानों में संबंधित विभाग द्वारा उक्त डेटा इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कार्मिकों को किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतानों हेतु आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर प्रथमतः बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड का इन्द्राज सही–सही करना होगा व प्रमाण के तौर पर पासबुक या केन्सिल चैक की कॉपी भी स्केन कर सिस्टम पर डालनी होगी। बैंक खाता संख्या में परिवर्तन हेतु कार्मिक द्वारा अपने लॉगिन से डीडीओं को रिक्वेस्ट की जायेगी तथा डीडीओं द्वारा उक्त रिक्वेस्ट संबंधित कोषालय को फोरवर्ड बैंक खाता संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।

8. लाभार्थियों, तृतीय पक्षकारों, ठेकेदारों, संविदा कर्मियों इत्यादि बैंक खाता संख्या इन्द्राज संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रथमतः बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड का इन्द्राज सही–सही करना होगा व प्रमाण के तौर पर पासबुक या केन्सिल चैक की कॉपी भी स्केन कर सिस्टम पर डालनी होगी। पूर्व में इन्द्राज किए गए बैंक खातों की शुद्धता की जॉंच हेतु आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होगें। इस डेटा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु सिस्टम में तृतीय पक्षकार द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को बैंक पासबुक/केन्सिल चैक की प्रति के साथ अनुरोध किए जाने पर संबंधित लाभार्थी के मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. आयेगा जिसकी पुष्टि किये जाने के पश्चात ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय के माध्यम से बैंक विवरण में परिवर्तन करवाया जा सकेगा।

www.rajteachers.com

9. कार्मिक अथवा तृतीय पक्षकार की मृत्यु की दशा में भुगतान नामित/नामितों को किए जाने की दशा में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा में नामित/नामितों का मोबाईल नम्बर, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड़ का इन्द्राज सही–सही करना होगा व प्रमाण के तौर पर पासबुक या केन्सिल चैक की कॉपी भी स्केन कर सिस्टम पर डालनी होगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा तैयार किए जाने के पश्चात नामित/नामितों के मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. आयेगा जिसकी पुष्टि किए जाने के पश्चात ही आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

10. कार्मिकों के मास्टर डेटा में अंकित Credentials की शुद्धता डीडीओं के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी तथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पोर्टल पर करवाये जाने के उपरान्त पे–मैनेजर पर भी तद्‌नुसार प्रदर्शित होगा।

अतः एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल्स के मास्टर डेटा में उपरोक्तानुसार मोबाईल नम्बर/पैनकार्ड नम्बर/आधार नम्बर/ई–मेल एड्रेस/भामाशाह आई.डी. नम्बर इन्द्राज किया जाना दिनांक 30.09.2018 तक सुनिश्चित किया जावें।

www.rajteachers.com

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/पे–मैनेजर/4115–4365 दिनांक 29/6/2018

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीया मुख्यमंत्री/समस्त मंत्री/राज्य मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव
3. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हक/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा/आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, सचिवालय, जयपुर.
14. निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित
17. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. (ट्रेजरी/वॉम) वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
18. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु।
19. कोषाधिकारी, समस्त।
20. ई–कोषाधिकारी, ई–कोषालय, वित्त भवन, जयपुर

www.rajteachers.com

संयुक्त शासन सचिव